

by the Rajya Sabha. I would say you retain the words Kashi Vishwa Vidyalaya. That is an apt word which gives an idea of the pattern of culture which was sought to be promoted by Pandit Malaviya. That is my concrete proposal, but because this question of Aligarh comes in,—it was discussed earlier also in this House,—it is better for the Government to bring in a Bill simultaneously to deal with all denominational universities or colleges which smack of certain communal, caste or other considerations. There are so many colleges with all sorts of names. The Government must go into the matter, take up this challenge, and place before the House a comprehensive Bill. It can then very well change their names, but the moment it seeks to change the name of the Banaras Hindu University and replace the word 'Hindu' by the name of Pandit Malaviya. The outcome is that people have their own misgivings on the score, that the next question regarding Aligarh and other denominational institutions will be left out. So, it is in the fitness of things that the Government must now come forward with a Bill simultaneously to cover all these things, so that it will be based on a clear concept of what an educational institution should be. So, my definite proposal is this, My hon. friend Mr. Kamath sometimes gets away from us. Yet, now I am prompted to support his proposal. Let us have a committee of both Houses and discuss this, not from any partisan angle but as an educationist and as a student. Let us understand the problem. Nobody should be pressed to do anything. But one should not overlook that the people who are outside may as well be provoked. The young talents have been provoked. It is not unnatural. We have come from the colleges; we know; we left our colleges to challenge the authorities. Personally speaking, I had occasion to challenge the Prime Minister of Bengal; I had to do it.

17 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: You will take more time. Then you may continue tomorrow.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): Before you adjourn the House, I want to raise a point of order on what Mr. Chakraverty said now. Can this House again send this Bill to a Select Committee? Is there a provision in the rules that once the Select Committee has made a report, can it be sent back to a Select Committee, after having been passed in the Rajya Sabha? That is the point.

Mr. Deputy-Speaker: It has been decided in the morning. We take up half an hour discussion.

17-01 hrs.

INDIAN HIGH COMMISSIONER IN KARACHI*

श्री प्रकाशवीर साहू (बिजनौर) :
उपाध्यक्ष महोदय, संसद् में ऐसे प्रवचन प्रायः कम पाते हैं, जब साठ सत्तर सदस्य मिल कर कोई एक प्रश्न उपस्थित करे। परन्तु पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमिश्नर श्री उन के सहयोगियों के साथ पाकिस्तान की ओर से जो दुर्व्यवहार हुआ, उस से न केवल संसद् में रोष है, जिसको प्रकट करने के लिये सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में इस प्रश्न को उठाया, अपितु इसके विरोध में सारे देश में भी प्रचण्ड शोक व्याप्त है। राजद्रुत और राष्ट्र-ध्वज, ये दोनों, किसी देश के गौरव के प्रतीक होते हैं। प्रण उनके साथ कही दुर्व्यवहार होता है अथवा उनका अपमान किया जाता है, तो उससे देश की संसद् और जनता का शून्य होना स्वाभाविक है।

पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर के साथ पाकिस्तानी सरकार के इशारों पर

[श्री प्रकाशबीर शानी]

को गुंजाई की गई, उस से एक बार इन्सानियत का माया भी शर्म से नीचे हू जायेगा। यद्यपि वहाँ पर पहले भी हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ इनी प्रकार के दुर्व्यवहार चल रहे। लेकिन इस बार पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर और उनके सहयोगियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उस से लगता है कि पाकिस्तान ने सब अन्तर-राष्ट्रीय कानूनों को उठ कर ताक पर रख दिया है और वहाँ पर ज़ाल का कीटन लागू हो गया है।

पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर और उनके सह-जागियों के घरों की जो तलाशी ली गई और उस तलाशी के दौरान में उन के साथ बा बेरहमी दिखाई गई, उससे भी बहुत अधिक अष्टप्रद बात यह है कि हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रति मानवीय सहानुभूति नाम की बाँब का भी समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के कार्यालय की एक महिला को जब बच्चा उत्पन्न हुआ था, तो हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से उनका यह सुविधा दी गई कि अगर वह चाहे, तो वह उस महिला को पाकिस्तान भेज सकते हैं। धन्यथा वह यहाँ पर ही किर्ता हास्पिटल में उन के प्रसव का व्यवस्था कर सकते हैं। उस महिला ने यहाँ रहना पसन्द किया और उन को दूर प्रान्त की सुविधा दी गई। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर के एक कर्मचारी की परना को जब बच्चा उत्पन्न हुआ था, तो पाकिस्तान सरकार ने उसका लिए डाक्टर और नर्स की सेवों वापस करन का अनुमत नहीं दी। बच्चा हात समय जब वह बचारी तड़प रही थी, तो हाई कमिश्नर के अन्य कर्मचारियों की पीरवा ने मिल कर किसी प्रकार से उस के जीवन की रक्षा की।

घाय दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम के रिफॉर्म को उठा कर देखें कि प्रति-दिन

कितने कितने मन और कितने कितने ली बोलते हुए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से पटुचर्चा रही। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर के कर्मचारियों के बच्चे महीनों तक दूध के लिए तरस गए।

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमिश्नर के कर्मचारियों के लिए राशन और पात्री की भरमार रही, लेकिन कराची में हमारे हाई कमिश्नर के कार्यालय में राशन बरडे वाले व्यक्तियों के साथ यह व्यवहार किया गया कि उनके रसोइयों को जेल में भेज दिया गया। उनके शाक-सब्जी देने वाले बन्द कर दिये गये, दूध देने वाले बन्द कर दिये गये और घोड़ी और ताई को भी वहाँ जाने से रोक दिया गया।

यहाँ पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के अधिकारियों को इतनी स्वतन्त्रता थी कि वे जहाँ चाहे घुमें, जायें, चाहे जैसी जानकारी प्राप्त करे, पत्रयत्र उन्हें और जहाँ चाहे नमाज पढ़ें। लेकिन कराची में हमारे हाई कमिश्नर पर यहाँ तक प्रतिबन्ध था कि वे दिन में और रात में किसी भी समय अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। बीच में कुछ दिन के लिए उनको यह सुविधा दी गई कि वह अपने कार्यालय जा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी पाकिस्तानी पुलिस को साथ लेकर। वहाँ पर हमारे हाई कमिश्नर के कर्मचारी जो तीन मकानों में रहते थे। हमारे हाई कमिश्नर को वहाँ पर जाकर उनकी खबर सुघ लेने तक की अनुमति भी नहीं थी।

यहाँ दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की तार, टेलीफोन और वायरलेस की सारी सुविधायें प्राप्त हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर को तार देने तक की सुविधा तक उपलब्ध नहीं थी और उनका टेलीफोन कनेक्शन भी काट दिया गया। और तो और, दूसरे देशों के जा राजदूत वहाँ पर रहते थे, जिनके माध्यम से

बहु धरना सन्देश भारत में पहुंचा सकते थे, उनसे मिलने और सम्पर्क स्थापित करने की सुविधा भी उन से छोन ली गई। न उनको किसी अन्य देश के राजदूत से मिलने दिया गया और न किसी दूसरे देश के किसी राजनयिक प्रतिनिधि को उन से ही मिलने दिया गया।

ऐसी स्थिति में आज भारत सरकार के सामने यह प्रश्न है कि वह पाकिस्तान के साथ धरने राजनयिक सम्बन्धों को ज्यादा सम्बन्ध रखे तक जारी रखे या नहीं।

पहले 11 सितम्बर को हमारे हाई कमिश्नर के यहाँ तलाशी हुई। हाई कमिश्नर के कर्मचारी अलग-अलग स्थानों पर रखे गये थे। एक स्थान पर हमारे हाई कमिश्नर जब पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि क्या बदतमाजी चल रही है? उनकी धीरतों के कपड़े और जेवर आदि निकाल-निकाल कर चारों तरफ फेंके हुए हैं उनके निजी कागजात देखे जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस को कहा कि क्या इस देश में कोई कानून है या नहीं? इसका जवाब पुलिस की ओर से यह दिया गया कि "शट अप, बैठ घाउट, नानसेन्स"। इन शब्दों का प्रयोग हमारे हाई कमिश्नर के प्रति किया गया। जब उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया और कहा कि तुम कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का तो पालन करो, तो विदेश मंत्रालय जवाब देता है कि हम पुलिस के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

हमारे हाई कमिश्नर ने केवल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से, बल्कि न्यूयार्क टाइम्स जैसे विदेशी समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों से रायटर जैसी विदेशों की समाचार एजेंसियों से और अमरीका, ब्रिटेन, श्रीलंका और ईराक आदि विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों से भी किसी तरह सम्पर्क स्थापित किया और उन को कहा कि यह जानत जो यह हमारे साथ है, कल यह बहुशायदनापन तुम्हारे साथ भी घट सकता है इसलिए तुम को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का

पालन कराने में हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन यह दुःख की बात है कि वह कुछ बोलेंगे। बी० बी० सी० ने, जो कि पाकिस्तान की सूबों को उखल उखाड़ कर देता है इन ठगान घटनाओं को छिपाया। रायटर ने एक साइन भी इन घटनाओं के सम्बन्ध में नहीं दी। और भी विदेशी समाचार पत्रों के जितने भी प्रतिनिधि वहाँ थे, वे भी इस बारे में चुप हो गए।

11 सितम्बर को हमारे हाई कमिश्नर और उन के सहयोगियों के घरों में यह तलाशी साथ छः बजे से लेकर ग्यारह बजे रात तक लगातार पांच घंटे चलती रही। उस के बाद 13 सितम्बर को जो तलाशी चांसरी की हुई — उसमें पाकिस्तान की सबस्त्र पुलिस वहाँ पर थी। पाकिस्तान का जन-सम्पर्क अधिकारी, जो हमारे हाई कमिश्नर के कार्यालय के साथ सम्पर्क करने के लिए नियत किया गया था—धरन में चलती नहीं करता हूँ, तो उस का नाम चौकरी है वह भी वहाँ पर उपस्थित था। उस की उपस्थिति में रात के डार्ले बजे तलाशी धारम्भ हुई और प्रातः साढ़े छः बजे तक चलती रही। हमारे कटनीतिक सन्दूकों की एक-एक चीज को खोल कर देखा गया। लेकिन हमारे हाई कमिश्नर की सावधानी से पाकिस्तान को हमारा एक भी गुप्त कागज नहीं मिल सका। इस अवसर पर अपने हाई कमिश्नर, श्री केवल सिंह, और उन के सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूँ कि इस विपत्ति में उन्होंने जिस बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय दिया उस के लिए वे इस देश की ओर से बधाई के पात्र हैं।

लेकिन जब इनके पर भी पाकिस्तान की सरकार को संतोष नहीं हुआ, तो 21 सितम्बर को दो तीन हजार गुंठे वहाँ पर लाए गए। उनके साथ टुकों में पत्थर लाव कर लाए गए। उन की गुंठानर्दी का परिणाम यह हुआ कि पांच अजिलों की हमारी इमारत की दो सी छिड़कियों

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

में दस खिड़कियां भी साबूत नहीं बचीं। हमारे हाई कमिश्नर पर यहां तक प्रतिबन्ध था कि वह यह देखने के लिये भी नहीं जा सकते थे कि किस तरह से हमारी चांसरी को नष्ट किया जा रहा है। उन गुंडों द्वारा मिट्टी के तेल से भोगे हुए कपड़े धाग लगा कर खिड़कियों में से उस इमारत के घन्दर फेंके गए, ताकि किसी तरह से उस में धाग लग जाए, लेकिन सौभाग्यवश वहां किसी प्रकार की धाग नहीं लग पाई। वहां पर भारतीय समाचारपत्रों के जो प्रतिनिधि थे—टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि वहां पर था, पी० टी० आई० के प्रतिनिधि वहां पर थे, और कई समाचारपत्रों के प्रतिनिधि वहां पर थे—, उनको पाकिस्तान की सरकार की धोर से जेलों में भेज दिया गया। जहां एक-एक रोटरी के लिए उनको कतार में खड़ा किया गया। उनकी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उस घटना को मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ।

ऐसी स्थिति में, जब कि पाकिस्तान दुनिया के किसी कायदे कानून का पालन नहीं कर रहा है। जब कि वहां पर जंगली धोर बहिनियाना कानून लागू है, और जब पूर्वी धोर पश्चिमी पाकिस्तान में भ्रल्पसंध्यकों का खून तक जबर्दस्ती लिया जा रहा है। वह भी इतनी मात्रा में लिया जा रहा है कि कई घादमी खून देते देते मर चुके हैं, भारत सरकार कब तक अपने कानों में तेल डाल कर बैठे रहेंगे? जिस प्रमानवीय ढंग से यह तलाशी ली गयी उसकी हम यहां दिल्ली में बैठ कर कल्पना भी नहीं कर सकते। शत्रु देश में जो हमारे चार सौ या पांच सौ घादमी थे उनकी क्या दशा हुई होगी? उनकी स्त्रियां और बच्चे इस तलाशी के दौरान किस प्रकार कांपते रहे होंगे। हम उस भयंकर कृत्य का यहां दिल्ली में विश्वास भी नहीं

कर सकते। ऐसी स्थिति में मैं सरकार के ऊपर आज कुछ आरोप लगाना चाहता हूँ।

पहली बात तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने उत्तर में यह बताया कि 6 सितम्बर से घटनाएं घटनी आरम्भ हुईं। अगर मेरी जानकारी सही है तो भारतीय प्रतिनिधियों ने आपको सूचना दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है इनका सब ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्या उसके बाद आपने किसी भी तरह की जो आपके चार सौ या पांच सौ कूटनीतिक प्रतिनिधि वहां थे उनकी जीवन रक्षा की व्यवस्था की? हमारे प्रतिनिधियों की तलाशी 11 और 13 सितम्बर को ली गयी और हमारी चांसरी पर 21 तारीख को साढ़े तीन बंदे पचराव किया गया और आप कहते हैं कि 4 अक्टूबर को हमने पाकिस्तान को एक विरोध पत्र भेजा और कहा कि पाकिस्तान सरकार इस के लिए क्षमा मांगे। मेरा पहला आरोप तो यह है कि जब 6 सितम्बर से ही युद्ध चल रहा था तो 4 अक्टूबर तक भारत सरकार ने क्यों इन लोगों की धोर ध्यान नहीं दिया और क्यों नहीं दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ कर हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है।

दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि एक महीने तक हमारे लोगों की टेलीफोन की सुविधा नहीं दी गयी। 6 सितम्बर से यह घटनाएं शुरू हुईं और 21 सितम्बर जब कि हमारी चांसरी को नष्ट किया गया और उसके बाद भी हमारे लोगों को तार देने की या टेलीफोन आदि की सुविधा नहीं दी गयी। टेलीफोन के कनेक्शन काट दिए गए। दुर्भाग्य से हमारी दोषपूर्ण विदेश नीति के कारण किसी विदेशी राजदूत ने भी हमें उनका खन्ध नहीं भेजा।

मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ दिल्ली से विदेश पंशानर ने उन लोगों का संघ जानने के लिए क्या व्यवस्था की? अगर वह संघ नहीं भेज सकते थे तो धारण क्या व्यवस्था की जो प्राप्तो उनकी जानकारो मिल सके। एक महीने तक धारण कुछ नहीं किया। मेरा यह सरकार पर आरोप है।

धारण उनसे धारणा करते हैं कि वे धारण धारण जान हथेली पर रख कर देण की रखा करें। लेकिन हमारे जो धारण नो न्याय राजनीतिक प्रतिनिधि वहाँ फते हुए थे उन के बारे में धारण एक महीने तक कोई समाचार लेने की व्यवस्था नहीं की। क्या इस पर धारण चाहते हैं कि वे धारण जान धारण में डालकर देण को रखा करें?

वियाना में जो राजनीतिक कन्वेंशन हुआ था उस में 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक सन्धि पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। उस कन्वेंशन पर पाकिस्तान ने भी दस्त दत्त किए थे। वह सन्धिपत्र सयक्त-राष्ट्र संघ के सचिवालय में मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे विदेश मंत्री सरकार स्वर्णसिंह सुरक्षा परिषद में गए तो क्या उन्होंने सयक्त राष्ट्र संघ में कहा कि किस प्रकार पाकिस्तान में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हुए हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया? यदि नहीं कहा तो क्या यह घटना इतनी साधारण थी कि दुनिया को इसको बताना आवश्यक नहीं समझा गया?

इसलिए मेरा सुझाव है कि भारत सरकार धारण विरोध पत्र में पाकिस्तान सरकार से कहें कि पाकिस्तान में जो हमारे प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए क्षमा मांगे और धारण

के लिए गारंटी दे कि फिर दुबारा पाकिस्तान में भारत के प्रतिनिधियों के साथ या किसी अन्य देश के प्रतिनिधियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा और जो हमारी सम्पत्ति की हानि हुई है उसके लिए उचित मुआवजा दे। अगर पाकिस्तान इन तीनों बातों को जल्दी से जल्दी पूरा करती है तब तो भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ धारण राजनीतिक सम्बन्ध रखे या न रखे अगर इन बातों का पाकिस्तान सरकार पालन नहीं करती तो फिर पाकिस्तान सरकार के साथ राजनीतिक सम्बन्ध बनाए रखने का कोई प्राथम्य ही नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश के स्वाभिमान को ठेस लगती है। जैसा कि पाकिस्तान में हुआ जैसे ही पीकिंग में हमारे राजदूत श्री जगत मेहता के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी सूचना उन्होंने दी। तो मेरा सुझाव है कि ऐसे देशों से हमें राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रखने चाहिए जहाँ हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे उनका व्यक्तिगत धारण नहीं होता बल्कि सारे देश का धारण होता है क्योंकि ये प्रतिनिधि हमारे देश के प्रतीक बन कर वहाँ जाते हैं। मेरा सुझाव है कि अगर इन से देशों में राजनीतिक सम्बन्ध रखने हैं तो इनसे कहा जाए कि जो उन्होंने हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया है उसके लिये क्षमा मांगें और धारण के लिए सुरक्षा की गारंटी दें। यदि वे ऐसी गारंटी नहीं देते और धारण दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना नहीं करते तो फिर मैं दाख-राता हूँ इन देशों के साथ हमको बिना किसी हिचकिचाहट के राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिए।

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad):
In the context of the report which has now been published from the Special Correspondent of P.T.I., Mr. P. R. Rye, who had been imprisoned, may I

[Shri P. R. Chakravarti]

know whether Government has taken serious note of the inhuman treatment meted out to those Indians who had been kept in prison for months together, and also of the fact that the Pakistan Government have occupied our Indian Airlines Corporation office and the Dhakeswari Cotton Mills which was the premier cotton mill in Eastern India now in Pakistan?

श्री बड़े (खारगोन) : मैं पूछना चाहता हूँ कि घापने जो विरोध पत्र भेजा था उसका क्या को? जबाब दिया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ है वैसे ही घटनाएं ईस्ट पाकिस्तान में घट सकती हैं और वहाँ जो हमारा तिरंगा ध्वज है उसको उतारने के लिए एक दफा दो दफा नहीं तीन चार दफा प्रयत्न किया गया। क्या यह बात सच है या नहीं?

श्री हुकूम चन्द कछवाय (देवास) : मेरा भी नाम इसमें है, मुझे भी सबाल पूछने का अधिकार है, मैं ने भी नोटिस पर दस्तखत किए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : घापका नाम इधर नहीं है, घांडर घांडर।

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): Mr. Deputy-Speaker, it is quite true, all that the hon. Member has said about the treatment of our High Commissioner and his family and also the personnel of the High Commission in Karachi. The question that I would like to answer is whether the Government was informed about the treatment before the 11th September. I would like to mention that we did not know, we did not have any information whatever about the threatening treatment of the Indian High Commission by the Pakistanis. In fact, the High Commissioner himself was taken by surprise and all that he could do on the 11th was to contact the so-called friendly nations. He telephoned to the U.K. High Commis-

sion, the U.S. Embassy, the Yugoslav Embassy, the Ceylon High Commission and newspaper representatives of the PTI, BBC, New York Times etc. As he was talking, the wires were cut and he could not get any information or keep in contact with anybody. Then followed, what the hon. Member said with such eloquence, what happened on the 11th September, 13th September and 21st September. I must confess that the Ministry had no news whatever about anything that happened in Karachi at all (Interruptions). No communication whatever was possible between Karachi and us. The only means of communication that they had was the All India Radio, and when the All India Radio did not say anything, when they never heard a word of sympathy, because the All India Radio or the Government of India had no knowledge at all, the High Commissioner was really unhappy. One friendly country tried to get some news and put it to us through the foreign office. All kinds of obstacles were placed and there was no possibility of getting any news at all. The only news was of the attack on the chancery which was published in local papers after the 21st September. Even then we could not get any news. We tried our best but we could not get any news. I myself called the representative of the International Red Cross to find out, at a personal level, what was happening to our staff. He could not do it if it was from a Minister. I asked him to take it as a request from a private member who was interested in her relations in Karachi. That message had to go to Switzerland and then to the representative in Karachi. By that time we were able to get news on the 28th. Now the question that is asked is whether we are going to leave our people to live there or they are going to be repatriated. The House would be happy to know that most of them were repatriated. The families of employees of IAC, banks etc. are being repatriated on a mutual basis.

A question was asked as to why we did not put reciprocal curbs on the Pakistan High Commissioner here. As long as we had communication with Pakistan we tried to put the same curbs as they were putting on our persons there. Beyond that, we had no news. If we had known that our people were treated that way, certainly we would have taken drastic steps. But, as there was no news, there was very little that we could do.

The same applies to Dacca also. There was no communication. Even when we started communication it was through London. Now everything is settling to fairly normal conditions. I would like to say that we have given three protest notes, not only on the 4th of October but on the 28th September, 4th October and then on a succeeding occasion.

Shri Badi: What is the reply?

Shrimati Lakshmi Menon: I will give you their reply.

It is true that Pakistan is a signatory to the Vienna Convention. As such, it has violated not only the terms of the Vienna Convention but also the accepted procedure with regard to foreign representation in the country which has been in existence from time immemorial in our country, namely, that the representative of the king or ruler, even if he is an enemy, should always be given safe conduct. It was the responsibility of the Pakistan Government to see that our Mission and our personnel were given protection especially because there was no declared war between the two countries. Therefore, there was no excuse whatsoever for Pakistan to behave as she did.

We have made representations on this matter. As usual, Pakistan has rejected these things as false and unfounded allegations. She has not given any reply. We have also asked for compensation for the destruction of property and things in the Chancery of over Rs. 25,000. We have not received any reply. On the other hand, Pakistan has rejected

these things as false or groundless allegations.

Now, I am sure all of us share the anxiety and concern of the members when they say why do we have diplomatic relations with such a country. But the question is this. As the Prime Minister has stated the other day, we have to make a differentiation between the Government and the people. After all, we cannot get away from Pakistan. We could certainly in a moment of anger recall our representative. Then we will lose all points of contact with the people of Pakistan. Do the Members want us to do that? After all, we have to remember that there is dictatorship in Pakistan at the present moment. It is quite likely that times will change and perhaps a new Government will come into being in Pakistan and tempers will cool down. Then there should not be any regret whatever that we have lost the only point of contact with the people of Pakistan. It is very easy to break diplomatic relationship. For instance, Pakistan has done it in the case of Malaysia. We do not think it is the proper answer.

It is true that our people have been humiliated and we should take measures against that. That is why we have withdrawn most of our employees from our Mission. Unless Pakistan expresses regret, unless Pakistan gives the guarantee that our people will be treated in the manner the representatives of diplomatic missions should be treated, we will not have our full complement of staff sent there. We have recalled our High Commissioner.

श्री प्रकाशचर शर्माजी : जब वह इस तरह से हमारे प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो यहाँ जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी वही उसी के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए ।

Shrimati Lakshmi Menon: We have recalled our High Commissioner for an indefinite period and the High Commissioner will not go there till such guarantees are received.

श्री हुकम चन्द कछवाय : पाकिस्तान के हाके कमिश्नर ने यहाँ है - नको वापस भेजने के लिए प्राप क्या कर रहे ह ।

Shri P. R. Chakraverti: Indian Airlines Corporation officers were also treated shabbily.

Shrimati Lakshmi Menon: Certainly I do not think Members would want us to behave towards the members of any Mission in the way in which Pakistan has behaved towards the members of our mission. That is not the way to show your culture and your civilisation.

श्री हुकम चन्द कछवाय : वैसे व्यवहार पहले ही मत करिए लेकिन उन्हें वापस पहुंचा दीजिये ।

Shrimati Lakshmi Menon: As long as there is diplomatic...

Shri D. D. Puri (Kaithal): That is the only language that Pakistan will understand and not protest notes.

Shrimati Lakshmi Menon: We will keep the Missions with better language, if possible.

This is the situation. Now things are improving, but even so we will take all steps to remedy the situation. Unless we get a guarantee from the Pakistan Government that they will mend their ways and that they will give the necessary protection and guarantee to our personnel, our High Commissioner will not go back—more than that, at the moment Government do not wish to do anything; we are just watching the situation....

श्री हुकम चन्द कछवाय : प्राप ने जो पत्र भेजा था उस का उत्तर प्राया कि नहीं प्राया ?

Shrimati Lakshmi Menon: I have said that we have not received a reply except that they have said that these allegations are groundless and are false. They have started making counter-allegations, which is their normal procedure, saying that their

Mission here was put to lots of difficulties and that we did not give medical aid etc. They are all false allegations.

Then, the question was asked whether we have brought this to the notice of the Security Council. Yes, we have; we have given a memorandum stating the behaviour of Pakistan Government towards our Mission. That was also done. Everything that is legally, constitutionally and diplomatically possible has been done except withdrawal of the Mission and breaking-off of diplomatic relationship. As I said, we will watch and see how Pakistan is going to behave. There is always the freedom for us to break off diplomatic relations if we want to do that. At the moment we do not think that it is necessary to do so.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): The hon. Minister has said that there was absolutely no news from our High Commissioner during this period which was mentioned in this question. I would like to know what happened to the wireless that we were operating with our High Commissioner's Office. Why was there no communication through that wireless?

Shrimati Lakshmi Menon: In fact, the reason why the Pakistani armed police entered our Chancery and our High Commissioner's house was that they had heard that we had a transmitter. In fact, we did not have a transmitter. The High Commissioner told them that we did not have a transmitter but they would not believe him and they searched the whole house, the Chancery and the rooms of the personnel in search of the transmitter. There was no means of communication. If there were any means of communication, certainly we would have got the information.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 25, 1965/Agrahayana 4, 1887 (Saka).